"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत: क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी 2008—माघ 12, शक 1929

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संजय कुमार तिवारी आत्मज श्री दयाशंकर तिवारी, उम्र 37 वर्ष, निवासी इ. डब्ल्यू. एस. 690-691, वैशाली नगर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं मैं अपने पुत्र सार्थक तिवारी का नाम परिवर्तित कर ज्योतिषी के अनुसार कृष्णा सार्थक तिवारी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को कृष्णा सार्थक तिवारी पिता संजय कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सार्थक तिवारी	कृष्णा सार्थक तिवारी
पिता-श्री संजय कुमार तिवारी	पिता-श्री संजय कुमार तिवारी
निवासी-इ. डब्ल्यू. एस. 690-691	निवासी-इ. डब्ल्यू. एस. 690-691
वैशाली नगर, भिलाई	वैशाली नगर, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
490023	490023

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं विश्राम ध्रुव पिता स्वर्गीय रामप्रसाद ध्रुव, आयु 39 वर्ष, निवासी जीनत ग्रीन विहार, प्लाट नम्बर 6, हेमूनगर, वार्ड नं. 38, बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर विक्रम सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विक्रम सिंह पिता स्वर्गीय रामप्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

विश्राम ध्रुव
पिता- स्वर्गीय रामप्रसाद ध्रुव
निवासी-जीनत ग्रीन विहार, प्लाट नं. 6
हेमूनगर, वार्ड नं. 38
बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

विक्रम सिंह
पिता- स्वर्गीय रामप्रसाद
निवासी-जीनत ग्रीन विहार, प्लाट नं. 6
हेमूनगर, वार्ड नं. 38
बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पी. उन्नूनी आत्मज श्री एम. जे. पापाचन्द, उम्र 59 वर्ष, निवासी 74-बी, 1 डब्ल्यू. ए. टाइप, दल्ली राजहरा, तह. बालोद, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर पी. उन्नी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे पी. उन्नी आत्मज श्री एम. जे. पापाचन्द के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

पी. उन्नूनी
आत्मज-श्री एम. जे. पापाचन्द
निवासी-क्वा. नं. 74-बी, सड़क नं. 10,
1 डब्ल्यू. ए. टाइप, टाऊनशिप,
दल्ली राजहरा,
तह. बालोद, जिला दुर्ग (छ. ग.)
पिन- 491228

नया नाम

पी. उन्नी
आत्मज-श्री एम. जे. पापाचन्द
निवासी-क्वा. नं. 74 बी, सड़क नं. 10,
1 डब्ल्यू. ए. टाइप, टाऊनशिप
दल्ली राजहरा,
तह. बालोद, जिला दुर्ग (छ. ग.)
पिन-491228

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक, डभरा जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

डभरा, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम-5 का उपनियम (1) लोक न्यास के पंजीयक डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)]

क्रमांक/69/अ.वि.अ./री/2007.—क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में निर्दिष्ट संपत्ति छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, एम. एल. सिरदार, लोक न्यास पंजीयक, डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) "गायत्री मंदिर चन्द्रपुर" तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा को लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 26-11-2007 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच कराना प्रस्तावित करता है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	गायत्री मंदिर चन्द्रपुर, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
(2)	अचल संपत्ति	:	खसरा नंबर 603/2, रकबा नं. 0.40 एकड़
(3)	चल सम्पत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुद्रा से सूचना पत्र दिनांक 1-12-2007 को जारी किया गया.

एम. एल. सिरदार,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

क्रमांक/270/अ.वि.अ./ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री रामखिलावन शर्मा आ. स्व. बी. पी. चौबे, ब्राम्हण पारा, रायपुर ने छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (27 जून 1951) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र दिया है.

अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 3-1-2008 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के 30 दिवस के भीतर में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किए गए आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट समिति, ब्राम्हण पारा, रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सदरबाजार, रायपुर खाता-क्र. 60022, राशि-2500=00 (दो हजार पांच सौ रुपये मात्र).
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.